कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरत्न अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

सीएसएल/ नई परि./सा./पीआरओपी व एपीपीआर/ सीएएनएसआरयू/ मा.सं./ एपीपीआर/एनएटीएस/2025/60 01 जुलाई 2025

शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम 1973 के तहत स्नातक/ तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचना

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 01.07.2025 से 15.07.2025 तक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी और 2021,2022,2023,2024 और 2025 के दौरान उत्तीर्ण इंजीनियरिंग में योग्य स्नातक धारकों, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों से सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), श्री विजया पुरम के लिए शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम 1973 के तहत एक वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है।

क. श्रेणी – I स्नातक प्रशिक्षु:-

क्र.सं.	शाखा	प्रशिक्षण सीटों की संख्या	वृत्तिका प्रति महीने
1	इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	1	₹12,000/-

ख. श्रेणी– II तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षु :

क्र.सं.	शाखा	प्रशिक्षण सीटों की संख्या	वृत्तिका प्रति महीने
1	मेकानिकल इंजीनियरिंग	3	₹10,200/-
2	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	1	
3	इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	1	
कुल		**5**	

I. **न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:**

क. श्रेणी – I स्नातक प्रशिक्षु:-

- संगत शाखा में एक सांविधिक विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में उपाधि।
- संगत शाखा में संसद के अधिनियम द्वारा इस तरह की डिग्री प्रदान करने वाले एक संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में उपाधि ।
- उपर्युक्त के समतुल्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकायों की स्नातक परीक्षा।
- कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड वर्ग या अंकों का प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और कुल ग्रेड पॉइंट (जैसे :सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) आबंटित करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को वर्ग और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के लिए मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को वर्ग और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं करता है, वहाँ कुल ग्रेड पॉइंट को 10 से गुणा करके आवश्यक अंकों का प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा।

ख. श्रेणी– II तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षु :

- संगत शाखा में राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
- संगत शाखा में विश्वविद्यालय द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
- उपर्युक्त के समतुल्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

ग. किसी भी निर्धारित योग्यताओं के समतुल्य योग्यताएं रखनेवाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तुल्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

II. **आयु:** दिनांक 15.07.2025 को 18 वर्ष से अधिक ।

III. **रिक्तियों का आरक्षण**: अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछडे वर्ग (अपिव)/ बैंचमार्क दिव्यांगजन उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को लागू आरक्षण पर भारत सरकार के निदेशों को सख्ती से अनुवर्तित करेगा।

IV. **<u>न्यूनतम शारीरिक योग्यता</u>**: शिक्षु नियम 1992 के खंड 4 में निर्धारितानुसार और इसका संशोधन यदि कोई हो ।

V. **<u>प्रशिक्षण की अवधि</u>**: शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम 1973 के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक साल केलिए होगी।

VI. आवेदक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

VII. **<u>पूर्व प्रशिक्षण</u>**: उम्मीदवार जो पहले ही या वर्तमान में किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र या निजी औद्योगिक संगठन में शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम 1973 के अधीन शिक्षुता पा चुका है या पा रहा है, **वे आवेदन करने केलिए योग्य नहीं हैं।**

VIII. **<u>चयन की प्रक्रिया:</u>**

क. केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अधिवासित उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। संबंधित शाखाओं केलिए लागू अनुसार मूल निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन केलिए उम्मीदवारों को लघुसूचीगत किया जाएगा। यदि निर्धारित योग्यता में एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा समान अंक प्रतिशत प्राप्त किए जाते हैं, तो, उत्तीर्ण वर्ष में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता तय की जाएगी ।

ख. चयन के पूर्व प्रमाणपत्र सत्यापन केलिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सत्यापन केलिए आयु, योग्यता, अंको का प्रतिशत, जाति, दिव्यांगता (यदि कोई हो) आदि की ओर मूल प्रमाणपत्र और इन प्रमाणपत्रों की स्वयं-साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करना चाहिए और इन मूल प्रमाणपत्रों के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार की जाएगी। मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होने के मामले में, उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

ग . उम्मीदवार जो प्रमाण-पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, उन्हें चिकित्सा स्वस्थता के अधीन, योग्यता/आरक्षण के क्रम में अधिसूचित प्रशिक्षण सीटों के लिए चयन हेतु अस्थायी रूप से विचार किया जाएगा।

IX. **<u>यात्रा भत्ता:</u>** शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है ।

X. **<u>आवास और भोजन</u> :** शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान सीएसएल द्वारा आवास और भोजन प्रदान नहीं किया जाएगा।

XI. **<u>आवेदन शुल्क:</u>** <u>शून्य</u>

XII. **<u>पंजीकरण और आवेदन की प्रस्तुति:</u>**

प्रशिक्षुता पंजीकरण/आवेदन प्रस्तुतीकरण पोर्टल **<u>nats.education.gov.in</u>** के माध्यम से किया जाएगा। पुराने पोर्टल पर पहले से पंजीकृत लोगों केलिए आवेदन करने की विधि नीचे दी गई तालिका के कॉलम ए में दी गई है। अन्य कॉलम बी में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

कॉलम ए	**कॉलम बी**
पुराने शिक्षुता पोर्टल में पंजीकृत छात्रों केलिए (portal.mhrdnats.gov.in)	**पुराने शिक्षुता पोर्टल में न पंजीकृत छात्रों केलिए**
कदम 1: क. छात्र लॉगिन पेज पर पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करके https://nats.education.gov.in पोर्टल पर खाता सक्रिय करें। ख. लॉग इन करें और आवेदन पत्र पूरा करें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं। **खाता सक्रियण प्रक्रिया के बाद (नई पोर्टल माइग्रेशन),** **कदम 2:** क. लॉग इन ख. "**विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करें**" के अंतर्गत "कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड" खोजें	**कदम 1:** क. https://nats.education.gov.in पर जाएं । ख. छात्र पर क्लिक करें ग. छात्र रजिस्टर पर क्लिक करें घ. आवेदन पत्र पूरा करें ङ. प्रत्येक छात्र के लिए एक अद्‌वितीय नामांकन संख्या तैयार की जाएगी। **आवेदन करने केलिए,** **कदम 2:** क. लॉग इन ख. "**विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करें**" के अंतर्गत "कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड" खोजें
ग. लागू करें पर क्लिक करें (आप स्थिति को "लागू" के रूप में देख सकते हैं)	ग. लागू करें पर क्लिक करें (आप स्थिति को "लागू" के रूप में देख सकते हैं)

ग. एनएटीएस पोर्टल से संबंधित किसी भी मुद्‌दे/ प्रश्नों के मामले में आप कृपया व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल से संबंधित किसी प्रश्न केलिए natssupport@aicte-india.org या establishment.bopt@gmail.com वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करें।

XIII. **<u>सामान्य</u>**

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पहले यह सुनिश्चित करें कि वे पदों केलिए अधिसूचना के अनुसार पात्रता की अपेक्षाएं पूरा करते हैं।**

(ii) सीएसएल को उनके ऑनलाइन आवेदन में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव/ अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के सबूत में आवेदकों से अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ी सबूत मांगने का अधिकार है।

(iii) अपात्रता के मामले में उम्मीदवारी के निरसन के संबंध में पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रमाणपत्र सत्यापन केलिए बुलावा पत्र लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उन्हें हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in > कैरियर पृ.> सीएएनएसआरयू पर ईमेल/ प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाएगा। आवेदकों के साथ सभी पत्राचार केवल पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से होंगे। अद्यतन केलिए उम्मीदवार ईमेल/ वेबसाइट अक्सर देखें ।

(v) केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, बुलावा पत्र जारी करना और चयन प्रक्रिया में भाग लेना आवेदक को उम्मीदवारी स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं देगा या इसे पात्रता मानदंड को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(vi) शिक्षुता अवधि के पूरा होने पर, सीएसएल को ऐसे शिक्षुओं को रोज़गार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी और न ही शिक्षुता के पूरा होने के आधार पर एक शिक्षु रोज़गार केलिए दावा कर सकता है ।

(viii) इस अधिसूचना में इंगित प्रशिक्षण सीटों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकता है।

(ix) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद सीएसएल अधिसूचित प्रशिक्षण सीटों को न भरने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों को भरने हेतु रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा। सीएसएल को यदि अपेक्षित है तो, भर्ती प्रक्रियाएं सीमित करने/ बदलने/ रद्द करने / परिवर्तन करने का अधिकार है।

(x) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने सही अंक दर्ज किए हैं। दर्ज किए गए अंकों और अपलोड की गई अंक पत्र में अंतर होने की स्थिति में आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(xi) यदि किसी भी स्थिति में यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठी/ गलत है या तथ्यों और सूचनाओं को छुपाया गया है, तो उम्मीदवार पर चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी/ नियुक्ति रद्द/ अस्वीकार कर दी जाएगी।

(xii) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियम और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xiii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि केलिए सुरक्षित किया जाएगा।

(xiv) इस विज्ञापन से व्युत्पन्न कोई दावा अथवा विवाद के संबंध में किसी वैध कार्रवाई और/ अथवा इस संबंध में आवेदन केवल एर्णाकुलम के अधिकार क्षेत्र होने वाले न्यायालय / ट्रिब्यूनल/मंच में संस्थापित कर सकता है और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल ऐसे न्यायलय व प्राधिकरण को एकमात्र तथा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होगा।

(xv) इस विज्ञापन में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट पर दिया जाएगा।

(xvi) **आगे किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमसे ई-मेल career.cansru@cochinshipyard.in के माध्यम से संपर्क करें।**

XIV. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत	:	**01.07.2025**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	**15.07.2025**

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतवासी ही आवेदन करें।"

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं अध्ययन विकास)